



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032021-226017
CG-DL-E-19032021-226017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1169]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 2021/फाल्गुन 28, 1942

No. 1169]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 2021/PHALGUNA 28, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2021

का.आ. 1261(अ).—केंद्रीय सरकार, समय-समय पर यथा-संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना का.आ. 3446(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 7 के एचएस कोड 0713 31 10, 0713 90 10 और 0713 90 90 अंतर्गत उड़द [बीन्स ऑफ द एसपीपी विगना मुंगो (एल.) हेपर] का वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.5 लाख मीट्रिक टन के कोटा के आयात के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 करती है।

2. अधिसूचना का प्रभाव: 1.5 लाख एमटी उड़द का आयात करने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दी गई है।

[फा. सं. 14/1/2020-ईपी (एग्री-III)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 के का.आ. 172(अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-2020 के तहत जारी की गई थी और उसे दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 के का.आ. 3446(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2021

S.O. 1261(E).—In exercise of powers conferred by section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time-to-time, the Central Government, in partial modification of Notification S.O. 3446(E) dated 1st October, 2020, hereby extends the last date for import of 1.5 Lakh MT of Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper] under HS Codes 0713 31 10, 0713 90 10 and 0713 90 90 of Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy), for the fiscal year 2020-21, from 31st March, 2021 to 30th April, 2021.

2. Effect of the Notification: The last date for import of 1.5 Lakh MT of Urad, is extended from 31st March, 2021 to 30th April, 2021.

[F. No. 14/1/2020-EP(Agri-III)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020 dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and amended *vide* S.O. No. 3446 dated 1st October, 2020.